संख्या- 49 /2023/RF-787 /020-E-1700470

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत उसका बाजार,
जनपद-सिद्धार्थनगर।

नगर विकास अनुभाग- 9 **लखनऊ : दिनांक 04 अक्टूबर, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-174/2016/आरएफ1347/नौ-9-2016-32आरएफ/16, दिनांक-22.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-121/2016/आरएफ1051/नौ-9-2016-32आरएफ/16, दिनांक-28.09.2016 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य हेतु नगर पंचायत उसका बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर को क्रमशः रू0 53.10 लाख एवं रू0 623.81 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में क्रमशः रू0 13.27 लाख एवं रू0 311.905 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष, कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन नगर पंचायत उसका बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर को द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि क्रमशः **रू0 39.83 लाख एवं रू0 311.905 लाख अर्थात् कुल रू0 351.735 लाख (रू0 तीन करोड़ इक्यावन लाख तिहत्तर हजार पांच सौ मात्र)** अनुदान संख्या-83, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02मल जल तथा सफाई 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-0403-नगर पंचायतें-30-निवेश /ऋण " के नामे डाला जायेगा।

2. संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तारित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2024 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. शासनादेश संख्या-174/2016/आरएफ1347/नौ-9-2016-32आरएफ/16, दिनांक-22.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-121/2016/आरएफ1051/नौ-9-2016-32आरएफ/16, दिनांक-28.09.2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5. उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेगे, तभी द्वितीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक-19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 3,51,73,500 (रुपये तीन करोड़ इक्यावन लाख तिहत्तर हजार पांच सौ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 6215027890403 नगर पंचायतें **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-49 /2023/RF-787/020-E-1700470, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5. कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6. निजी सचिव, मा0 मन्त्री , नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।
9. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-04/10/2023

प्रेषण संख्या:- 49
आवंटन आदेश संख्या:- 001-49-2023-RF787-020-E-1700470
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	35173500 35173500	35173500 35173500
	योग	वर्तमान प्रगामी	35173500 35173500	35173500 35173500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इक्यावन लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इक्यावन लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव